भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2979

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पश्चिमी बंगाल में एफएमबीएपी का कार्यान्वयन

2979. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एमएमबीएपी) के अंतर्गत बाढ़ और कटाव पुनर्निमाण के लिए विशेष रूप से केन्द्रीय सहायता के रूप में पश्चिमी बंगाल को ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) उक्त योजना के दौरान विशेष रूप से बाढ़ और कटाव के पश्चात पुनर्निमाण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या एफएमबीएपी के अंतर्गत तिरपाल और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने जैसे राहत कार्य किये जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बाढ़ और कटाव संबंधी अवसंरचना के वास्तविक पुनर्निमाण/निर्माण के साथ-साथ राहत कार्यों के लिए विशेष रूप से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु 11वीं और 12वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन (एफएमपी) कार्यान्वित किया गया था जिसे बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे सीमित परिव्यय के साथ मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया। XIवीं योजना के प्रारंभ से पश्चिम बंगाल को जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए) **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 490.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तीन बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को एफएमबीएपी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है और राज्य को 159.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस समय में, सरकार के पास कोई निधियन प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग): एफएमबीएपी के अंतर्गत, तिरपालों और खाद्य पदार्थों की व्यवस्था जैसे राहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

(घ): 11वीं योजना के प्रारंभ से पश्चिम बंगाल को जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए) 1282.11 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार, उनके निपटान हेतु पहले से रखी गई राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत कुल 4009.60 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 3558.74 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक

"पश्चिमी बंगाल में एफएमबीएपी का कार्यान्वयन" विषय पर दिनांक 12.12.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2979 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक।

11वीं योजना के प्रारंभ से पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता (सीए)

राशि करोड़ रुपये में

एफएमबीएपी के तहत जारी वर्षवार निधि								
जारी की गई निधियां (12वीं योजना)	**जारी की गई निधियां (12वीं योजना)**	**11वीं और 12वीं योजना के दौरान जारी की गई निधियां**	**जारी की जा चुकी केंद्रीय सहायता**				**स्थापना के बाद से जारी कुल केंद्रीय सहायता**
			2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2021-22**	
771.75	194.75	966.5	65.03	89.312	117.12	44.15	**1282.11**

*****